

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-270  
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद तथा भर्ती में विलंब

270 श्री कपिल सिब्बल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2026 के मध्य की स्थिति के अनुसार, राज्यों में, विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) समग्र शिक्षा तथा विभिन्न राज्य स्तरीय भर्ती अभियानों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और बार-बार घोषणाएं किए जाने के बावजूद संस्वीकृत पदों को भरने में लगातार हो रहे विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और
- (ग) शिक्षकों के पदों के लंबे समय तक रिक्त रहने का छात्र-शिक्षक अनुपात, बहु-श्रेणी शिक्षण तथा शिक्षा परिणामों पर, विशेष रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों पर, क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर  
शिक्षा मंत्री  
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद तथा भर्ती में विलंब के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 12/08/2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के बहुसंख्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षकों सहित शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है। ग्रामीण, जनजातीय और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित स्कूलों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा सहित सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षण पदों और रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज+ के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है जिसे संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बढ़ी हुई छात्र नामांकन और नए स्कूलों की स्थापना के परिणामस्वरूप नए पदों के सृजन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है कि वे पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरें जिसमें स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्पर्धी चयन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शिक्षकों के लिए मुख्य भूमिका की परिकल्पना की गई है और किसी स्कूल अथवा स्कूल परिसर में भर्ती सहित शिक्षकों की पर्याप्त भर्ती और तर्कसंगत तैनाती एवं स्कूल के समूहीकरण, जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाया गया है, के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी की सिफारिश की गई है। साथ ही, केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से शिक्षकों की तर्कसंगत और पारदर्शी तैनाती करने तथा स्कूल परिसर/कलस्टर आधारित दृष्टिकोण तथा शिक्षक साझाकरण तंत्र अपनाने, जहां व्यवहार्य हो,

के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और अन्य अल्पसेवित क्षेत्रों में शिक्षकों की न्यायसंगत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

केंद्र सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम पीटीआर बनाए रखने पर बल देता है। यूडाइज+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्तर पर पीटीआर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 23 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के भीतर है।

स्कूल शिक्षा और अधिगम परिणामों विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित बच्चों और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों के सुदृढीकरण, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) के लिए निपुण भारत के कार्यान्वयन, ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) के माध्यम से शैक्षणिक सहायता, सुधारात्मक शिक्षण, ब्रिज पाठ्यक्रम, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम और डिजिटल मध्यवर्तनों के माध्यम से को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा विनियमित पाठ्यचर्या बहुभाषी कक्षाओं, स्थानीय संदर्भों और समावेशी शिक्षा पर बल देती है, जबकि दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल और मिश्रित पद्धति का उपयोग किया जाता है। आदिवासी-बहुल जिलों में सेवारत शिक्षकों सहित कार्यरत शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) कार्यान्वित की गई है। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) की सहकार्यता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के शिक्षकों के लिए नियमित निष्ठा प्रशिक्षण और क्षमता-वृद्धि कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

\*\*\*\*\*

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद तथा भर्ती में विलंब के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 12/08/2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक (2025-26)

| राज्य                             | प्रारंभिक |               | माध्यमिक |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|
|                                   | प्राथमिक  | उच्च प्राथमिक |          |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह      | 877       | 799           | 893      |
| आंध्र प्रदेश                      | 74616     | 7254          | 87545    |
| अरुणाचल प्रदेश                    | 3001      | 6576          | 3123     |
| असम                               | 95731     | 40479         | 40954    |
| बिहार                             | 164481    | 242606        | 635      |
| चंडीगढ़                           | 43        | 284           | 2270     |
| छत्तीसगढ़                         | 74645     | 53452         | 10282    |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 546       | 1656          | 271      |
| दिल्ली                            | 18287     | 319           | 2343     |
| गोवा                              | 1997      | 321           | 999      |
| गुजरात                            | 27386     | 153108        | 3747     |
| हरियाणा                           | 32256     | 10378         | 7120     |
| हिमाचल प्रदेश                     | 19080     | 5243          | 7270     |
| जम्मू और कश्मीर                   | 18748     | 38988         | 17578    |
| झारखंड                            | 35945     | 45188         | 16322    |
| कर्नाटक                           | 34830     | 95197         | 43325    |
| केरल                              | 16294     | 15626         | 6447     |
| लद्दाख                            | 734       | 2426          | 1054     |
| लक्षद्वीप                         | 179       | 192           |          |
| मध्य प्रदेश                       | 128006    | 122807        | 43375    |
| महाराष्ट्र                        | 91352     | 108297        | 15092    |
| मणिपुर                            | 6615      | 2944          | 3896     |
| मेघालय                            | 9964      | 7587          | 1054     |
| मिजोरम                            | 5378      | 5560          | 2148     |
| नागालैंड                          | 5791      | 5968          | 4231     |
| ओडिशा                             | 60916     | 78991         | 58487    |
| पुदुचेरी                          | 1513      | 551           | 1064     |
| पंजाब                             | 51471     | 8217          | 17558    |
| राजस्थान                          | 63341     | 116481        | 966      |
| सिक्किम                           | 2038      | 2220          | 2485     |

|              |                |                |               |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| तमिलनाडु     | 56778          | 47102          | 29931         |
| तेलंगाना     | 43867          | 14336          | 60283         |
| त्रिपुरा     | 4862           | 5840           | 5926          |
| उत्तर प्रदेश | 340103         | 259477         | 7025          |
| उत्तराखंड    | 22738          | 7270           | 5810          |
| पश्चिम बंगाल | 239882         | 18261          | 27315         |
| भारत         | <b>1754291</b> | <b>1532001</b> | <b>538824</b> |

(स्रोत: यूडाइज़+ 2025-26)

\*\*\*\*\*